Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri A. N. Vidyalankar:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether a proposal for the conversion of Provident Fund into a pension scheme for the Central Government employees is under consideration; and

(b) if so, the decision taken in the matter?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) and (b). No, Sir. However Government have under consideration a proposal to set up a Family Pension Fund for workers who are members of the Employees' Provident Fund and Coal Mines Provident Fund.

मृत सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए सरकारी क्वार्टर

279. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री बड़े :

क्या निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ऐसे कुछ नियम बनाये हैं जिन में सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके बच्चों को वार्षिक परीक्षा होने तक सरकारी क्वार्टरों में रहने दिया जाय;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) उनसे किराया किस आधार पर वसूल किया जाता है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) से (ग). आवंटन नियमावली के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि आवंटी की मृत्यु के बाद उसका परिवार वास को उस किराये की अदायगी पर जो कि अधिकारी अपनी मृत्यु से ठीक पूर्व अदा कर रहा था, चार महीने तक अपने पास रख सकता है। फिर भी, बच्चे की अन्तिम परीक्षा अथवा परिवार में गंभीर बीमारी जैसे विशेष कारणों के आधार पर इस अवधि के बाद कुछ महीनों तक वह परिवार वास को अपने पास रख सकता है। वृद्धि की ठीक अवधि प्रत्येक मामले के औचित्य पर निर्भर करती है, किन्तु अधिकतम अवधि छः महीने की है। वृद्धि की अवधि का किराया मूल नियम 45-ए के अन्तर्गत मानक किराये से दुगने दर पर अथवा मूल नियम 45-ए के अन्तर्गत पूल्ड मानक किराये से दुगना, इन दोनों में जो भी अधिक हो, वसूल किया जाता है।

धोबियों के लिए क्वार्टर

281. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री बड़े :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ नाथ पाण्डेय :
श्री शिवचरण गुप्त :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री 2 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1732 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में धोबियों को रिहायशी मकान तथा अन्य सुविधायें देने के सम्बन्ध में नियुक्त की गयी समिति की सिफारिशों को सरकार ने लागू कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) मकानों तथा धोबी घाटों का कितना किराया वसूल किया जायेगा; और

(घ) दिल्ली तथा नई दिल्ली में इस समय कितने धोबी हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और